

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.35/2024/45

दिनांक: 20.01.2024


—: आदेश :-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, 1986 यथा संशोधित के तहत इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित श्री गिरधारी लाल गोयल, वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, करौली को प्रोटोकॉल अधिकारी कम प्रशासनिक अधिकारी पे लेवल संख्या-16 (67300-195000) के पद पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है।

कर्मचारी श्री गोयल को तुरन्त प्रभाव से जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली में प्रोटोकॉल अधिकारी कम प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

कर्मचारी श्री गोयल की उक्त पदोन्नति उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। कर्मचारी का नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से वेतन नियतन किया जावे।

इसका इन्द्राज कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में किया जावे।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

दिनांक: 20.01.2024

क्रमांक : स्था./प.35/2024/734-735

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
02. श्री गिरधारी लाल गोयल, वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, करौली
- ✓ 03. आदेश / निजी / संबंधित पत्रावली


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)